



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR** तकवीकी विश्वा एवं कोएल विकास क्रि पंजी क् 2856/42-1 Process Id: 33943/2015 WP/7533/2015 From FOR ADMISSION Fixed for 18-12-2015 Deputy Registrar, DA- 05 High Court of MP Respondent No. 1 Bench at Gwalior RAD To, The State of Madhya Pradesh Thr, Principal Secretary, Technical Education & Skill Development Department, Vallabh Bhawan, Bhopal District- Bhopal (MADHYA PRADESH), Gwalior 16-11-2015 Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 7533/ 2015 Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ku. Kamini Shrivastav** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/7533/2015** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 18-12-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

COURT OF MADHYA ARAO

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

2

## तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004.

//आदेश//

/भोपाल,दिनांक 8 /12/2015

क्रमांक / 8 / कोर्टकेस / डी / 2015 / 186 | / मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 705 / 146 / 2010 / 42-1 दिनांक 7.4.2010 द्वारा संचालक, तकनीकी शिक्षा को प्रदत्त अधिकारों के तहत कु कामिनी श्रीवास्तव द्वारा राज्य शासन एवं अन्य के विरुद्ध मानृनीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बैंच ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत उद्ध्यू पी. क्रमांक 7533 / 2015 में शासन की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षण करने, प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने एवं अभिकथन पत्रों पर हस्ताक्षर करने आदि के लिये श्री एम. एल. भार्गव, व्याख्याता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पोलीटेकिनक महाविद्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुवत किया जाता है।

संचालक, तकनीकी शिक्षा, भध्यप्रदेश.

पृष्ठा. क्रमांक/8/कोर्टकेस/डी/2015/ 1865 भोपाल,दिनांक 8/12/2015 प्रतिलिपि:- निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।

2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बैंच ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर से प्रकरण का पक्ष समर्थन करने का कष्ट करें ।

समन्वय अधिकारी पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर ।

प्राचार्य, डॉ.भीमराव अम्बेडकर पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर ।

6 श्री एम.एल.भार्गव, व्याख्याता, डॉ.भीमराव अम्बेडकर पोलीटेकिनक महाविद्यालय, ग्वालियर । आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल शासकीय अधिवक्ता के मार्गदर्शन में वादोत्तर तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। तथा प्रस्तुत वादोत्तर की तीन प्रति सहपत्रों सिहत संचालनालय को भेजें। प्रकरण से संबंधित अभिलेख के साथ महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता से तुरन्त सम्पर्क साधकर समुचित वादोत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जाय।

(अ) संचालक तकनीकी शिक्षा को समय—समय पर स्थिति से अवगत कराया जाये व प्रकरण का अन्तिम निराकरण होने के उपरांत माननीय न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त करें और उस पर शासकीय अधिवक्ता / महाधिवक्ता का मत तुरन्त प्राप्त करें और उनके निर्णय / मत का तथ्यात्मक रूप से पूर्ण परीक्षण करके स्वयं के मत से भी अवगत करावें और शासकीय अधिवक्ता एवं अपने मत सिहत समय पर संचालनालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करावे।

(व) यदि प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय गलत हो अथवा उसमें तांत्रिक त्रुटि हो तो उसके विरूद्ध शासन की ओर से माननीय न्यायालय में अपील पुनरीक्षण अथवा पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही समय पर ही की जाय और की गई कार्यवाही से संचालनालय एवं शासन को उक्त याचिका की प्रति सहित अवगत कराया जाये ।

(स) प्रकरण में शासन हित संरक्षण में हुए किसी भी प्रकार के विलम्ब/गलती/हानि के लिये प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ।

अधीक्षक, उपविभाग–3 संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल । कृपया प्रभारी अधिकारी सं आवश्यतानुसार प्रकरण में पत्र व्यवहार सीधे करें।

संचालक, तकनीकी शिक्षा,

्री मध्यप्रदेश.

Received 6.7. C